तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **किशोर बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 31/2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/07/2024	अपीलार्थी किशोर निवासी वार्ड नं. 23, भोपालगढ़ ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.03.2024 में उनके द्वारा जेजेएम के तहत पीपाड़ सिटी उपखंड के अंतर्गत खांगटा, खवासपुरा और पालडी सीधा में लगाई गयी पाईपलाईन कार्य का प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति एवं यदि कार्य पूर्ण हो चुका है तो कार्य की माप पुस्तिक एवं भुगतान किये गए बिलों की सत्यापित प्रतियों से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण) ने जरिये पत्रांक 219 दिनांक 02.05.2024 से बतलाया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर) को पत्रांक 169 दिनांक 12.03.2024 के माध्यम से अंतरित किया, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर ग्रामीण) एवं लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) के स्तर से अपेक्षित नही होकर लोक सूचना अधिकारी (अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्यं अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर) के स्तर पर लंबित है। प्रार्थी लोक सूचना अधिकारी (अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर) के सूचना नही दिये जाने की स्थिति में उनके संबंधित प्रथम अपील अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	